



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उ०प्र०

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, U.P

पत्रांक: जे०एन०सी०यू०/सम्बन्धन/७२/२०१९

दिनांक: ३० जून, २०१९

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४ सन् २०१४) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन कार्य परिवद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा० कुलपति जी के आदेश दि० ३०.०६.२०१९ के अनुपालन में बाबा ऋषिदेव सिंह महाविद्यालय, घर्मापुर, कारी, बलिया (पूर्व संचालित) को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम स्वदत्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१९-२० से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है-

१. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल ६० प्रतिशत होने, नकल विहीन परीक्षाएँ करने का प्रमाण पत्र, प्रबन्ध समिति विधिवत अद्यतन अनुमोदित होने तथा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों एवं सन्दर्भगत पाठ्यक्रम हेतु पृथक-पृथक शिक्षण/प्रयोगशाला कक्षाएँ एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति शपथ पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के साथ संदर्भगत पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन की प्रक्रिया १५ दिवसों के अन्दर पूर्ण करते हुए शिक्षकों का डाटा वि०वि० पोर्टल पर अपलोड किये जाने कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।
२. उक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता के औपचारिक आदेश निर्गत किये जायेंगे, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
३. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१५(९२)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
५. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
६. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित पत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
७. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपने वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
८. मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/निवृत्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
९. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमवली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
१०. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-४२१/सत्तर-१-२०१५-१६ (२०)/२०११, दिनांक २२ मई २०१५ के अनुसा प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
११. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

१. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-६, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ